बौद्धिक संपदा
भारत
एकस्व / अभिकल्प / व्यापार चिह्न
भौगोलिक उपदर्शन / कॉपीराइट
आरजीएनआईआईपीएम

INTELLECTUAL PROPERTY
INDIA
Patents / Designs / Trade Marks
Geographical Indications / Copyright
RGNIIPM

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न
Office of The Controller General
Patents, Designs & Trade Marks
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
Department for Promotion of Industry and Internal Trade

बौद्धिक संपदा भवन
BOUDDHIK SAMPADA BHAWAN
प्लॉट न. / Plot No. - 32
सेक्टर / Sector -14, द्वारका / Dwarka
नई दिल्ली / New Delhi, भारत / India
दूरभाष / Tel : +911125300205
ई-मेल / E-Mail : cgoffice.in@nic.in
वेबसाइट / Website: www.ipindia.gov.in

संख्या/No. : CG/F/CGPDTM/DL-08/4394 दिनांक/Date: 17-08-2026

सार्वजनिक अपील

महानियंत्रक कार्यालय ने ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है, जिसका उद्देश्य पेशेवर रजिस्टर की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाना और भारत में अच्छे बौद्धिक संपदा कार्य-व्यवहार को बढ़ावा देना है।

कार्यालय के ध्यान में यह बात आई है कि पेटेंट और ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर्स के रजिस्टर को नियमित और अद्यतित करने के लिए ई-केवाईसी पहल के बारे में कुछ बातों में शायद सटीक जानकारी नहीं दी गई है। ऐसी बातें, खासकर जब वे बिना किसी सही आधार के कही जाती हैं, तो न तो इस पेशे के लिए फायदेमंद होती हैं और न ही 'कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न' (सीजीपीडीटीएम) और 'रजिस्ट्रार, कॉपीराइट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन्स' (RoC&GI) के साथ रचनात्मक बातचीत में सहायक होती हैं।

कार्यालय यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से मांगी गई जानकारी, आईपी प्रैक्टिशनर्स द्वारा पेटेंट या ट्रेडमार्क प्रैक्टिशनर के तौर पर नामांकन के समय जमा किए गए आवेदन पत्र और उससे जुड़ी जानकारी पर आधारित है। इसका उद्देश्य इन रिकॉर्ड्स को ई-रजिस्टर में एक भरोसेमंद डिजिटल फ़ॉर्मेट में बदलना है और प्रैक्टिशनर्स को यह मौका देना है कि वे कार्यालय के पास मौजूद अपनी पुरानी जानकारी के आधार पर आवश्यक जानकारी की पुष्टि, अद्यतित और सही कर सकें, और साथ ही जहाँ आवश्यक हो, अपने अभिलेख को अपनी ताज़ा जानकारी के साथ अपडेट कर सकें।

इसके अलावा, अगर 10वीं या 12वीं कक्षा के अंक-पत्र (या दोनों) उपलब्ध नहीं हैं, तो ई-केवाईसी सत्यापन हेतु आवेदन करते समय प्रैक्टिशनर्स को खुद से सत्यापित एक पत्र अपलोड करना होगा जिसमें लिखा हो कि **"दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है"**। ऐसे आवेदनों को रिकॉर्ड में लिया जाएगा और लागू अधिनियम /नियमों के तहत तय योग्यता मानदंडों के सत्यापन हेतु कार्यवाही की जाएगी।

इस कार्यालय ने ई-केवाईसी प्रक्रिया से जुड़ी ज़रूरी मदद और जानकारी देने के लिए भी उचित इंतज़ाम किए हैं। जहाँ मौजूदा जानकारी सही है और लागू फ़ीस का भुगतान कर दिया गया है, वहाँ सभी योग्य प्रैक्टिशनर्स को ई-केवाईसी पूरा करने और अपने रिकॉर्ड अपडेट करने का मौका दिया जाएगा।

सभी आईपी प्रोफेशनल्स से अपील है कि वे रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करते समय एक विद्वान प्रोफेशनल समुदाय से अपेक्षित गरिमा और शिष्टाचार बनाए रखें। चिंताओं और सुझावों का हमेशा स्वागत है; हालाँकि, उन्हें सही माध्यमों से और सत्यापित तथ्यों के आधार पर ही उठाया जाना चाहिए। गलत व्यवहार, गलत जानकारी देना या बिना पुष्टि वाली जानकारी फैलाना प्रोफेशनल्स के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा कर सकता है और प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बुरा असर डाल सकता है।

अनुपालन की समय-सीमा भी **31 अगस्त 2026** तक बढ़ा दी गई है।

आपके सहयोग, समर्थन और रचनात्मक भागीदारी की हम दिल से सराहना करते हैं।

हस्ताक्षर
कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न